"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 जुलाई 2007—श्रावण 5, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जून 2007

क्रमांक 345/579/2007/1-8/स्था.—श्री सुधाकर सोनवाने, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 20-06-2007 से 25-6-2007 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुधाकर सोनवाने को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुधाकर सोनवाने अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 जून 2007

क्रमांक 347/578/2007/1-8/ स्था.—श्री पी. एस. तिवारी, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य विभाग को दिनांक 11-06-2007 से 15-06-2007 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. तिवारी को उप-सचिव. छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 जून 2007

क्रमांक /570/2007/1-8/ स्था.—श्री एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 26-5-2007 से 8-6-2007 तक 14 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. पी. दाण्डे को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल. पी. दाण्डे अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2007

क्रमांक 361/605/2007/1-8/ स्था.—श्री पी. सी. मिश्रा, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 25-6-2007 से 7-7-2007 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. मिश्रा को विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2007

क्रमांक 363/613/2007/1-8/ स्था.—श्री ए. मिंज, अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग को दिनांक 23-5-2007 से 10-6-2007 तक 19 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. मिंज को अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जून 2007

क्रमांक एफ 20-05/2004/11/ (6).—राज्य सरकार एतद्द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की छत्तीसगढ़ राजपत्र में 14 जुलाई 2006 को प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ 20-05/2004/11/ (6) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के प्रथम पैरा के अनुक्रमांक 2 "रेडीमेड गारमेन्ट्स" को अनुक्रमांक 2 "रेडीमेड गारमेन्ट्स (केवल अपेरल पार्क में स्थापित)" से प्रतिस्थापित किया जाता है.

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 "यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील मानी जायेगी" को 2 "यह अधिसूचना औद्योगिक नीति 2004-09 के लागू होने की दिनांक 01-11-2004 से प्रभावशील होगी" से प्रतिस्थापित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर दिनांक 16 जुलाई 2007

क्रमांक/6592/4036/25-2/आजावि/2007.— इस विभाग के क्रमांक/ 3918/4036/25-2/ आजावि/2007 दिनांक 14 जून, 2007, द्वारा स्व. हाजी अली स्मृति सम्मान की पुरस्कार राशि रुपये 1.00 लाख के स्थान पर रुपये 2.00 लाख दिए जाने हेतु आदेशित किया गया था.

राज्य शासन, एतद्द्वारा उपर्युक्त आदेश को अतिष्ठित करते हुए आदेशित करता है कि स्व. हाजी अली स्मृति सम्मान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय साहित्यिक रचनाओं तथा साहित्य साधना करने वाले किसी एक व्यक्ति को पुरस्कार राशि के रूप में रु. 1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) का नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 18 जुलाई 2007

क्रमांक 933/प्र. 1 /भू-अर्जन/अ. वि. अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	उमरपोटी	1.82	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/सं संभाग, दुर्ग.	रिसाली उपरपोटी नाला जलाशय हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर, दिनांक 25 मई 2007

क्रमांक/493/भू-अर्जन/.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कांसा	17.05	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग चाम्पा जिला-जांजगीर-चाम्पा.	घटोई जलाशय के अन्तर्गत डुबान क्षेत्र में आने से.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी. कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 मई 2007

क्रमांक 2/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	कोलबिर्रा	0.343	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	लोवरसोन व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 मई 2007

क्रमांक 18/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	पथर्रा	0.225	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	लोवरसोन व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 मई 2007

क्रमांक 18/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	महोरा	2.881	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	बगड़ी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 20 जून 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-रिसदी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	495/1, 502/2	0.081
योग	1	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राखड़ बांध के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 6 जुलाई 2007

क्रमांक/1320/प्र.-1/अ. वि. अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- **(क) जिला-दुर्ग**
- **(ख) तहसील-डौण्डीलोहारा**
- **(ग) नगर/ग्राम-खेरथा, प. ह. नं. 9**
- **(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.02 हेक्टेयर**

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
660	0.02
योग 1	0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेतु निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 जुलाई 2007

क्रमांक/1322/प्र.-1/अ. वि. अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-किसना, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.15 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
304	0.01
305	0.08
306	0.01
326	0.06
327/2	0.04
332/1	0.09
333	0.38
336	0.07
337	0.12
338	0.29
योग	1.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नाहंदा-सुरसुली-किसना मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 जुलाई 2007

क्रमांक/1324/प्र.-1/अ. वि. अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-परसुली, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
499	0.06
योग	0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेतु निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 28 मई 2007

रा. प्र. क्र. /1/ अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सामरी

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
170/3	0.104
योग	0.104

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गलफुला सेतु पहुँच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जाँजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 जून 2007

क्रमांक. 63.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जाँजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-पेण्ड्री, प. ह. नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.129 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	320/10	0.129
योग	1	0.129

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पिथमपुर डि. ब्यू. नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जाँजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जाँजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 जून 2007

क्रमांक. 64.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जाँजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-शुक्लाभाठा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.328 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	259/1	0.182
	259/11	0.146
योग	2	0.328

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ससहा डि. ब्यू. नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जाँजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2007

क्रमांक 10 /अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-तेन्दुआ, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.299 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
463/1, 470/1, 471/1	0.041
470/2, 471/2	0.041
462/1	0.061
419/1, 429,	0.012
421/1	0.008
419/4	0.020
419/6	0.024
451/1	0.085
430	0.004
435	0.004
436	0.036
441/1	0.020
441/2	0.020
451/3	0.032
62/1	0.405
453/1	0.081
64/2	0.405
योग	1.299

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तेंदुवा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

बिलासपुर, दिनांक 27 जून 2007

रा. प्र. क्र. 23 /अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मस्तूरी
(ग) नगर/ग्राम-जेवरा, प. ह. नं. 33
(घ) लगभग क्षेत्रफल-31.55 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
107/6 ड	1.06
108	1.14
109	0.09
110/10	0.54
111	1.08
112/1 क	0.30
112/1 ख	0.30
112/1 ग	0.30
112/1 घ	0.90
113	0.35
116/1	0.05
118/3	0.11
119/3	0.07
120	0.07
123	0.20
125/1	0.09
125/2	0.12
126/1	0.05
126/2	0.05
127/3	0.09
136/1	0.35
136/2	0.40
246/1	0.32
249	0.30
252/1	0.10
378/1	0.15
378/2	0.12
389/1	0.19
415	4.18
416	0.30
417/1	1.68
418	0.73
421	0.72
483/3	1.00
484	0.14
488	0.38
489	0.08
490	0.15
491/2	0.12
492	0.02
494/1	0.08
491/1	0.21
494/2	0.02
524	0.11
525	0.08
527	0.06
529	0.06
545/2	0.11
546/1	0.01

(1)	(2)
546/2	0.33
547/1	0.04
547/4	0.18
547/5	0.02
547/6	0.06
550	0.34
552/1	0.02
552/2	0.16
555/1	0.01
555/4	0.06
555/5 क	0.07
555/ 5 ख	0.02
555/9	0.14
555/10	0.12
555/12	0.20
555/13	0.04
555/14	0.10
677	0.67
573/3	0.13
574/2	0.11
574/4	0.12
593/1	0.09
594	0.02
597, 598/1	0.16
599/1	0.06
599/4	0.03
600	0.05
602/1, 603/1	0.24
603/3	0.17
603/6	0.17
604	0.04
605	0.11
606	0.04
611/1	0.04
612	0.11
620/2	0.02
633	0.26
635/3	0.04
635/5	0.01
636/1	0.01
637	0.50
638	0.16
644/1	0.13
645/1 ख	0.50
645/1 ग	0.20
652	0.10
653, 654	0.18
666/1	0.10
675	0.11
678/1	0.63
770/3 क, 77/3 ख	0.20
770/4	0.20
771	0.20
788/1	0.28
789	0.45
792/3	0.05
793	0.17
797	0.23
798/1	0.16
798/2	0.30
798/3	0.20
813/1	0.12
813/2	0.05
813/3	0.05
813/4	0.10
815	0.50
818	0.06
819	0.12
831/2	0.25
831/3	0.46
832/1	0.16
832/2	0.16
842/1	0.06
842/2	0.06
842/3	0.05
843	0.03
845/1	0.35
859	0.06
860/1	0.06
860/2	0.06
योग	31.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-फुटामुड़ा जलाशय बांध एवं डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 जून 2007

रा. प्र. क्र. 6 /अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मुंगेली
(ग) नगर/ग्राम-जेठूकापा, प. ह. नं. 8
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.891 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
53	0.134
54	0.093
62/3	0.065
62/2	0.093
63/7	0.117
63/1	0.077
61/2, 64/1	0.182
63/5	0.077
64/2	0.053
योग 9	0.891

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 जून 2007

रा. प्र. क्र. 15/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मुंगेली
(ग) नगर/ग्राम-जेठूकापा, प. ह. नं. 8
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.814 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
5/8	0.134
5/11	0.101
6/6	0.113
6/4	0.085
2/1 र, 6/5	0.049
2/1 ढ	0.093
9/2	0.101
9/3	0.77
9/2	0.061
योग 9	0.814

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 जून 2007

क्रमांक 18/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मुंगेली
(ग) नगर/ग्राम-मुंगेली, प. ह. नं. 06
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.255 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
409/1	0.166
429	0.089
योग 2	0.255

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रामगढ़ एनीकट आगर स्टाप डेम योजना के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 15 जून 2007

क्रमांक 4638 /भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पटपर, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-15.69 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
972	1.75
984	0.20
985	0.30
1000	2.70
1015/1	0.44
1015/2	0.44
1016/1	0.77
1016/2	0.78
1020	1.65
1091/4	0.12
1091/3	0.38
1091/1	0.38
982	1.00
983	1.00
1093	1.64
1094	0.53
1095	1.61
योग 17	15.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मरूवाटोला जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 जून 2007

क्रमांक 4639 /भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कातलवाही, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.16 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
341/3	0.21
341/5	0.06
354	0.61
352/4	0.08
352/5	0.12
355/1	0.21
352/3	0.08
351/1	0.15
365	0.41
366/3	0.17
368/3	0.07
366/2	0.19
367/2	0.11
368/1	0.45
368/2	0.24
योग 15	3.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छीपा व्यपवर्तन नहर विस्तार कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 जून 2007

क्रमांक 4640/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-आलीवारा, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.80 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	59/1	0.43
	59/2	0.42
	65	0.01
	63	0.03
	64/1	0.35
	64/2	0.35
	73	0.21
योग	7	1.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छीपा व्यपवर्तन नहर विस्तार कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 जून 2007

क्रमांक 4641/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भानपुरी, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.89 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	804/1	0.07
	805	0.10
	809/2	0.22
	809/1	0.22
	810	0.17
	812	0.02
	818/1	0.55
	827	0.10
	828/1	0.38
	825	0.11
	826	0.16
	833/1	0.09
	832/1	0.70
योग	13	2.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छीपा व्यपवर्तन नहर विस्तार कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 31 मई 2007

क्रमांक /क/वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र./14/ अ-82/ वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-डूमरतालाब, प. ह. नं. 104
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.854 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
495, 532/1	0.405
532/2	0.032
425/3	0.405
492/4	0.049
476/7	0.283
425/2	0.328
425/4	0.101
425/5	0.324
493/1	0.230
493/2	0.434
494	0.522
492/1	0.081
492/2	0.336
492/3	0.121
525/5	0.202
492/5	0.077
492/6	0.081
490/1	0.043
490/2	0.060
490/3	0.061
449	0.069
525/3	0.065
487	0.178
462	0.089
465	0.227
478/1	0.027
480/1	0.194
466/4	0.119
466/7	0.174
472/15, 475/9	0.046
514/4	0.809
467/1	
460/7	0.526
470/4	0.061
471/2	0.102
471/6	0.101
471/7	0.101
471/8	0.101
472/1	0.202
472/4	0.162
475/4	0.324
472/5	0.405
472/6	0.243
472/10	0.202
475/05, 472/13	0.223
508	0.162
475/8	0.081
478/2	0.182
478/6	0.089
478/3	0.142
479/2	0.162
478/4	0.027
480/2	0.194
478/5	0.027
480/3	0.194
479/1	0.132
479/3	0.066
515/4	0.445
511/1	0.054
511/2	0.054
511/3	0.018
511/4	0.036
513/6	0.206
513/7	0.037
योग 67	11.854

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ. ग.) के शैक्षणिक विस्तार हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2007

क्रमांक/ क/वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र./17/अ-82/ वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए **आवश्यकता है :—**

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सेजबहार, प. ह. नं. 119
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.785 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
74/2	0.085

(1)	(2)
74/8	0.081
71/10	0.158
40/1, 40/3	0.130
40/2	0.056
32/40	0.040
32/40	0.064
75/4	0.263
74/4	0.097
75/8	0.202
74/3	0.024
74/7	0.089
74/10	0.142
71/2	0.194
43/6	0.032
41	0.130
43/2	0.097
78/1	0.113
71/1	0.235
71/11	0.829
71/7, 71/12	0.182
71/16	0.101
71/8	0.081
71/4	0.303
78/9	0.057
योग 25	3.785

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-न्यू शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर (छ. ग.) के भवन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2007

क्रमांक 105/अविअ/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-आछोली, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.608 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
204/14	0.097
204/15	0.101
204/16	0.190
204/17	0.170
204/19	0.125
256	0.465
252/4	0.226
250	0.234
योग 8	1.608

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भरूवाडिह, खम्हारडीह, गातापार मार्ग के कि. मी. 3/4 पर खोरसीनाला पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, बालौदा बाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2007

क्रमांक 864/अ. वि. अ./भू-अर्जन/07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-चिखली, प. ह. नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.82 हक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
93	0.10
94	0.06
95	0.22
96/1	0.14
96/2	0.15
97/1	0.15
योग 6	0.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरापदर जलाशय योजना के अन्तर्गत उलट नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2007

क्रमांक 868 /अ. वि. अ./भू-अर्जन/07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-सगड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.14 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	420	0.37
	419	0.14
	418	0.15
	417	0.09
	429	0.24
	442	0.71
	444	0.34
	464	0.10
योग	8	2.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरापदर जलाशय योजना के अन्तर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2007

क्रमांक 868/अ. वि. अ./भू-अर्जन/07 .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-घुमरापदर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.92 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	344	0.36
	355	0.30
	357	0.40
	385	0.16
	362	0.30
	358	0.36
	359	0.04
योग	7	1.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरापदर जलाशय योजना के अन्तर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2007

क्रमांक 868/अ. वि. अ./भू-अर्जन/07 .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-धनौरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.81 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
204	0.46
199/3	0.32
200	0.04

(1)	(2)
199/2	0.12
182	0.19
184	0.22
162	0.34
108	0.12
107	0.04
105	0.10
104	0.34
98	0.16
96	0.34
377/2	0.30
371	0.38
366	0.38
358	0.22
352/2	0.07
352/3	0.06
352/1	0.06
352/4	0.05
352/5	0.06
351	0.14
350	0.06
534	0.10
546	0.40
536	0.34
537	0.05
540	0.24
541	0.18
योग 30	5.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरापदर जलाशय योजना के अन्तर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2007

क्रमांक 868 /अ. वि. अ./भू-अर्जन/07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-भैंसमुड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.33 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1	0.02
5	0.16
9	0.24
10	0.24
11	0.15
12	0.27
13	0.02
16	0.23
योग 8	1.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरापदर जलाशय योजना के अन्तर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2007

क्रमांक 868 /अ. वि. अ./भू-अर्जन/07 .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6(1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-फलसापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.78 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
30	0.24
32	0.28

(1)	(2)
34	0.22
356	0.02
36	0.23
37/2	0.28
37/3	0.08
40/1	0.06
40/2	0.21
41	0.19
62	0.28
71	0.22
75	0.25
170	0.10
173	0.35
179	0.11
178	0.11
176	0.14
307	0.14
304	0.04
353	0.02
357	0.21
योग 22	3.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरापदर जलाशय योजना के अन्तर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 4 जुलाई 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कुम्हली, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.198 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.460
18	0.008
1290	0.730
योग 3	1.198

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोसारटेडा जलाशय परियोजना (मुख्य नहर निर्माण).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 4 जुलाई 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/2/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कुम्हली, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.064 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1501/1	0.028
1503	0.036
योग 2	0.064

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोसारटेडा जलाशय परियोजना (फाफनी सब माइनर नं. 1)

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 4 जुलाई 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/4/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कुम्हली, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.899 हक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
	(1)	(2)
	1530	0.114
	1532	0.084
	730	0.310
	728	0.102
	727	0.004
	706	0.135
	707	0.150
योग	7	0.899

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोसारटेडा जलाशय परियोजना (कुम्हली सब मइनर)

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, संस्कृति एवं पुरातत्व
छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2007

क्रमांक 1567/स्था./07.—डॉ. एम. आर. थधानी, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष-भाषा विज्ञान, कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेंद्र नगर, रायपुर को आगामी आदेश तक सचिव के पद पर कार्य करने हेतु छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान, रायपुर से संलग्न (अटैच) किया जाता है.

2. डॉ. थधानी के वेतन एवं भत्तों का आहरण उनके महाविद्यालय से किया जायेगा और वे अपनी सेवाएं छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान के सचिव के रूप में देंगे.

टी. राधाकृष्णन,
आयुक्त.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 23 जुलाई 2007

क्रमांक/274/ख. लि./2007.—गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के अन्तर्गत निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया क्षेत्र भवन निर्माण के सामग्री के रूप में उपयोग में लायी जाने वाले चूने के विनिर्माण के लिए भट्ठी में जलाकर उपयोग में लिया जाने वाला चूना पत्थर उत्खनि पट्टा पर दिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन पश्चात् क्षेत्र उपलब्ध होगा.

क्र.	पूर्व पट्टेदार का नाम	ग्राम का नाम	तहसील	खसरा नं.	रकबा एकड़ में	खनिज का नाम	भूमि का विवरण	खुला घोषित किये जाने का कारण
1.	श्री राजकुमार अग्रवाल आ. श्री भगवानदास अग्रवाल, निवासी बसंतपुर रोड, राजनांदगांव (छ. ग.)	जोराताराई	राजनांदगांव	63, 64/2, 65/2, 66/2, 67, 68, 69/2, 71/2, 72/2, 73/1, 73/2, 74/2, 75/2, 76/2, 77/2	3.00	चूना पत्थर	निजी भूमि	पट्टा अवधि समाप्त होने के कारण.

टीप :- भूमि स्वामी की सहमति अनिवार्य होगी.

संजय गर्ग,
कलेक्टर.